लोगों के काम समयबद्धता से बिना परेशानी के निपटाए जाएं: राज्य सेवा आयोग

सेवा अधिकार आयोग के आयुक्त विभागों की 546 सेवाएं अधिसूचित, जिनकी संख्या को विस्तार देने के हैं प्रयास

पायनियर समाचार सेवा। सोनीपत

हरियाणा राज्य सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार और आयोग का ध्येय है कि आम जनमानस सरकारी सेवाओं तथा योजनाओं का पूर्ण लाभ मिले। लोगों के काम समयबद्धता व उनकी तसल्ली के साथ बिना किसी परेशानी के पूरे हों। किंतु यदि ऐसा नहीं होता तो सेवा का अधिकार आयोग सख्त कदम उठाने के लिए भी तैयार है।

लघु सचिवालय में शुक्रवार को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिकारियों तथा गणमान्य नागरिकों की बैठक का आयोजन

सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिकारियों तथा गणमान्य नागरिकों की बैठक लेते टीसी गुप्ता।

किया गया, जिसकी अध्यक्षता आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 31 विभागों की 546 सेवाओं को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें से 277 सेवाएं ऑनलाइन हैं। शेष सेवाओं को भी ऑनलाइन किया जाएगा। इन सेवाओं की प्राप्ति में लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। निर्धारित समयसीमा में लोगों को इन सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। इसकी उल्लंघन करने वाले अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा। यदि किसी अधिकारी पर तीन बार जुर्माना लगना उसकी नौकरी पर भारी पड़ सकता है।

गुप्ता ने कहा कि कुछ सेवाओं में प्रथम अपीलीय अधिकारी उपायुक्त तथा अतिरिक्त उपायुक्त और एसडीएम होते हैं, जिन्हें स्वयं भी जुर्माना लगाने की शक्ति प्राप्त है। कुछ मामलों में इन पर भी आयोग की ओर से जुर्माना लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर आम जनता की समस्याओं का निवारण ही प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी, 2022 से अधिसूचित सेवाओं में विस्तार किया जाएगा, ताकि लोगों को अधिकाधिक लाभ मिल सके।

टैम्परेरी नंबर अलॉट मामले में चलाएंगे विशेष अभियान

मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि प्राय: देखने में आता है कि लोगों को उनके वाहनों की आरसी निर्धारित समय सीमा में नहीं मिल पा रही। ऐसे में बहुत से लोग अलॉट किये गये टैम्परेरी नंबर पर ही अपने वाहन चलाते रहते हैं। इस मामले पर प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही टैम्परेरी नंबर के स्थान पर पक्के नंबर अलॉट करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे सरकार को लगभग 100 करोड़ रुपये का टैक्स मिलेगा। इसके लिए उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए हैं।

नागरिकों की समस्याओं का मौके पर कराया समाधान

सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य सचिव ने इस दौरान नागरिकों से फीडबैक भी ली। लोगों ने सुझाव देने के साथ समस्याएं भी प्रस्तुत की। जिनके समाधान के लिए उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।